

स्पीड पोस्ट  
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-308/2015 श्र0सं0- 95  
बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,  
मो० सलीम,  
श्रम आयुक्त, बिहार ।  
सेवा में,  
श्रम अधीक्षक,  
औरंगाबाद ।

पटना, दिनांक:- 22-2-16

विषय:- व्यय शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01 श्रम-101-औद्योगिक संबंध-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0108-  
श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तनतंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड-पी 2230011010108)  
के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्लादेश संख्या-1524 दिनांक-26.05.15 के आलोक में  
चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय के निमित श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन  
तंत्र का सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत बिजनेस रजिस्टर तैयार करने हेतु कार्यालय व्यय इकाई (13-01) में @  
दो रुपये प्रति प्रतिष्ठान की दर से शेष बचे 1290 प्रतिष्ठानों के लिए ₹ 2580/- (₹ दो हजार पाँच  
सौ अस्सी) मात्र का आवंटन किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.2015 एवं  
वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से  
अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा, तथा इसकी सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।
4. आवंटित राशि से हुए व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध करा दें ।
5. यह आवंटन योजना मद से संबंधित है ।

विश्वसभाजन

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

19/02/16

ज्ञापांक:- 6/एफ1-308/2015 श्र0सं0:-

95

पटना, दिनांक

22-2-16

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

19/02/16

ज्ञापांक:- 6/एफ1-308/2015 श्र0सं0:-

95

पटना, दिनांक

22-2-16

प्रतिलिपि-सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, मगध/जिला  
पदाधिकारी, औरंगाबाद/जिला कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/आईटी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग,  
बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

19/02/16